बिहार विधान सभा सचिवालय

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

NIT No.-09//2021

बिहार विधान सभा डायरी-2022 की कुल 2,500 (दो हजार पाँच सौ) प्रतियाँ डायरी का स्वीकृत नमूना के अनुरूप मुद्रित कर आपूर्त्ति करने हेतु विभिन्न इच्छुक फर्मों से कागज, बाईन्डिंग, कभर, निर्माण एवं मुद्रण से संबंधित नमूना के साथ प्रति डायरी न्यूनतम दर के साथ अलग-अलग सीलबंद लिफाफा में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा, जो एक अन्य सीलबंद लिफाफा में बंद हो, सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम से दिनांक-23.12.2021 को 3:00 बजे अप० तक यथानिर्धारित शर्त्तों के अधीन आमंत्रित की जाती हैं ।

सभी प्राप्त निविदायें दिनांक-23.12.2021 के 04.00 बजे अप० में संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेंगी, जिसमें सभी निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे ।

उक्त कार्य हेतु स्वीकृत नमूना का अवलोकन तथा इससे संबंधित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में उप निदेशक, जनसंपर्क शाखा के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।

एतद् विषयक पूर्व में प्रकाशित NIT No- 04/2021 अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जाता है ।

निविदा से संबंधित निर्धारित शर्त्तें

1. बिहार विधान सभा डायरी-2022 का कभर Leatherette Material तथा इसका साईज 10×7.5 ईंच (लगभग) होना चाहिए । साईज में आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन किया जा सकता है ।
2. वर्ष 2022 एवं 2023 की दिन-पत्री के साथ बिहार विधान सभा डायरी-2022 के प्रारंभ में बिहार विधान सभा से संबंधित
   (क) 07 रंगीन चित्र 170 gsm ग्लॉसी आर्ट पेपर पर मुद्रित होगा,
   (ख) 75 पृष्ठ कलर 100 gsm ग्लॉसी आर्ट पेपर पर मुद्रित होगा,
   (ग) 50 पृष्ठ में मुद्रित होने वाली विविध सूचनायें 80 gsm नेचुरल शेड पेपर पर मुद्रित होगा ।
3. डायरी के मुख्य कभर के मध्य में 75 वां आजादी का अमृत महोत्सव का लोगो इम्बॉस होगा ।
4. डायरी के मुख्य कभर के ऊपर में बिहार विधान सभा भवन शताब्दी वर्ष इम्बॉस होगा ।
5. डायरी के सभी पृष्ठों के तीनों किनारों पर गोल्डेन इम्बॉस होगा ।
6. बिहार विधान सभा डायरी-2022 के एक पृष्ठ पर दो तिथि पंचांग भाग सहित मुद्रित होगी,
7. बिहार विधान सभा डायरी-2022 में कागज एवं कभर उच्च कोटि का स्वीकृत नमूना के अनुरूप होगा,
8. निविदादाता को निविदा के साथ डायरी का नमूना संलग्न करना होगा,
9. निविदा के साथ कार्यानुभव, फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर चुकता प्रमाण पत्र एवं जी.एस.टी. निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न होनी चाहिएं ।
10. निविदादाता को समान प्रकृति कार्य (Simillar nature of works) का अनुभव होना चाहिए । निविदा के साथ नमूना एवं कार्यादेश की प्रति संलग्न होनी चाहिएं ।
11. तकनीकी तथा वित्तीय निविदा अलग-अलग सीलबंद लिफाफा में रख कर प्रत्येक लिफाफा के उपर मोटे अक्षरों में 'तकनीकी निविदा' एवं 'वित्तीय निविदा' अंकित कर इसे दूसरे बड़े लिफाफा में सीलबंद कर देना होगा । सभी लिफाफों में निविदादाता फर्म का नाम, पता, दूरभाष, मोबाईल एवं फैक्स संख्या अंकित होना चाहिए ।
12. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा टंकित एवं इसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है ।

13. केवल तकनीकी रूप से योग्य घोषित किए गए बोलीकर्त्ताओं का ही वित्तीय बोली का मूल्यांकन किया जायेगा ।

14. निविदादाता को निविदा के साथ कागज एवं कभर के विभिन्न रंगों के रेक्सीन का नमूना (फर्म की मोहर / हस्ताक्षर सहित) संलग्न करना एवं निविदा के कभर पर फर्म का पूरा नाम, दूरभाष संख्या, मोबाईल संख्या अंकित करना अनिवार्य है,

15. निविदा के साथ संलग्न सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित एवं सांख्यांकित होना चाहिए,

16. निविदादाता के पास अपना अत्याधुनिक 04 कलर सीट ऑफसेट मशीन एंव आधुनिक बाईडिंग सिस्टम से सुसज्जित प्रेस पटना में होना चाहिए ।

17. जिस निविदादाता का चयन मुद्रण के लिए किया जायेगा, उन्हें उक्त कार्य के लिए कुल व्यय का 5% राशि की बैंक गारंटी जो दिनांक-31.12.2022 तक वैध हो, सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम के पक्ष में सभा सचिवालय को जमा करना होगा जो कार्य संतोषप्रद होने पर वापस कर दिया जायेगा ।

18. सभी पूर्ण रूप से तैयार बिहार विधान सभा डायरी-2022 की आपूर्ति मुद्रक को दिसम्बर, 2021 के अंतिम सप्ताह तक निश्चित रूप से कर देनी होगी,

19. मुद्रक को डायरी 2022 की Soft Copy MS word एवं PDF में पैन ड्राईव में सभा सचिवालय को उपलब्ध कराना होगा ।

20. स्वीकृत नमूना एवं गुणवत्ता के अनुरूप बिहार विधान सभा डायरी-2022 का मुद्रण नहीं होने तथा निर्धारित अवधि के अंदर इसकी आपूर्त्ति नहीं करने की स्थिति में मुद्रक द्वारा जमा की गई जमानत राशि जब्त करने तथा विपत्र से कटौती का अधिकार सभा सचिवालय को होगा,

21. निविदादाता को निविदा के साथ नोटराईज्ड शपथ-पत्र (शपथ-पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का) संलग्न करना होगा जिसमें यह अंकित होगा कि उनके फर्म/प्रेस को सरकार अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान के द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है तथा इससे संबंधित कोई मुकदमा दर्ज नहीं है ।

22. उपर्युक्त सभी शर्त्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा । अपूर्ण, अस्पष्ट एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।

23. किसी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द / अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार सभा सचिवालय को सुरक्षित रहेगा ।

24. निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ यह होगा कि निविदाकार को उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य है ।

संजय कुमार सिंह
उप निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।